IV 29/2020

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

16 MAY 2020

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRAI

CA 530663

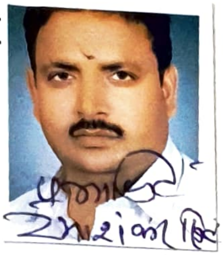

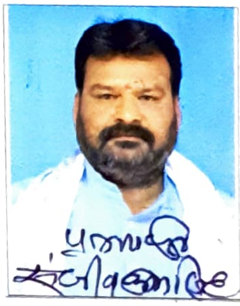

जय बजरंगबली फाउण्डेशन ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास आज दिनांक 26-5-2020 को सैदपुर, गाजीपुर में रमाशंकर सिंह पुत्र स्व0 मेघबरन सिंह, निवासी ग्राम – करमपुर, पोस्ट– करमपुर, विकास खण्ड– सैदपुर व तहसील – सैदपुर, जनपद – गाजीपुर उ0प्र0 द्वारा घोषित किया गया।

जिन्हे आगे न्यासकर्ता/ संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक पर 5000/–(पाँच हजार रूपये) की राशि है जिसे वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्य हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यायकर्ता/ संस्थापक उक्त राशि की अप्रति सहरणीय न्याय बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट **जय बजरंगबली फाउण्डेशन ट्रस्ट** के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे की आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यायकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/ संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतों से दान, उपकर ऋण आदि भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एव साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता / संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 5000/– (पाँच हजार रूपये) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम– करमपुर, पोस्ट– करमपुर, विकास खण्ड– सैदपुर व तहसील – सैदपुर जिला – गाजीपुर रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय ग्राम – करमपुर, पोस्ट– करमपुर, विकास खण्ड– सैदपुर व तहसील – सैदपुर जिला – गाजीपुर होगा अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर उस कार्यालय को समयानुसार समय– समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

क्योकिं न्यासकर्ता/ ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा सकता है –

1